मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक २० अगस्त, १९९६ (श्रावण २९, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन.

१. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

२. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(१) **श्री रामेश्वर अखण्ड, डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य,** उज्जैन जिले के ग्राम इन्दोख की एक आदिवासी बालिका के साथ बलात्कार की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२) **श्री मदन गोपाल सिंह, सदस्य,** सरगुजा जिले के प्रतापपुर थानान्तर्गत एक व्यक्ति की पुलिस पिटाई से मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

३. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(१) **श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के-**

(क) ग्राम खरैह की चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने,
(ख) शिवपुरी नगर के घोसीपुरा क्षेत्र से देशी शराब की दुकान हटाये जाने,
(ग) कोलारस कस्बे से ए.बी. रोड तक पहुँच मार्ग बनाये जाने,

(२) **श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य,** इन्दौर-भोपाल मार्ग की कालीसिन्ध नदी पर बड़ा पुल बनाये जाने,

(३) **डॉ. सियाराम साहू, सदस्य,** राजनांदगांव जिले के विकास खण्ड बोड़ला क्षेत्र के फसलों की जंगली जानवरों से सुरक्षा कराये जाने,

(४) **श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य,** उज्जैन जिले के बड़नगर-केसूर मार्ग की चामला नदी पर बड़ा पुल बनाये जाने, तथा

(५) **श्री बच्चन नायक, सदस्य,** जबलपुर जिले के ग्राम कारीबराह के आदिवासी किसानों को काबिज भूमि का पट्टा दिलाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

४. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले के कृषकों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा...(क्रमशः).

५. शासकीय विधि विषयक कार्य.

निर्धारित समय ३ घन्टे

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय विधेयक, १९९६ (क्रमांक ११ सन् १९९६) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल.
दिनांक १९ अगस्त, १९९६.